

कार्यालय उप वन संरक्षक, जोधपुर

पुलिस कमिश्नरेट के सामने, रोटरी सर्कल के पास, जोधपुर (राज.)-342001 Email- dcf.jdpr.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांक: एफ(143)FCA/उवसं/2023/5590

दिनांक: 13/06/2023

निमित्त:-मैनेजर

ए.बी.सी. सोलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
सोमाजीगुडा, हैदराबाद, तेलंगाना

क्षेत्रीय वन अधिकारी
बाप

विषय:- Diversion of 0.175 Ha. of forest land in favour of ABC Solar (INDIA) Private Limited, for Construction of 220 KV S/C Transmission Line on D/C towers laying between proposal ABC SIPL 300 MW Solar Power Plant to PGCIL 765/400/220 KV GSS at Near Village Badi Sird, Tehsil- Baap, District -Jodhpur (Rajasthan), Proposal No FP/RJ/TRANS/153699/2022

संदर्भ:- भारत सरकारए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत कार्यालय जयपुर पत्रांक 8बी/आरएजे012/जेपीआर दिनांक 10.05.2023 एवं परिवेश पोर्टल ऑनलाइन प्राप्त प्रस्ताव दिनांक 25.05.2023 के क्रम में

महोदय,

उपर्युक्त विषयांकित प्रकरण में संदर्भित पत्र की अनुपालना में लेख है कि उक्त आक्षेप की पालना कर प्रयोक्ता अभिकरण ऑनलाइन परिवेश पोर्टल फॉर्म ए पार्ट-1 पर दस्तावेज अपलोड करने के साथ ही आक्षेप की पालना की हार्डकॉपी की 4-4 प्रति अविलम्ब पुनः इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करावें। आक्षेप निम्न प्रकार से है :-

आक्षेप बिन्दु संख्या	आक्षेप	प्रत्युत्तर
1.	As, the proposal involves violation of FCA, the proposal has to be processed in accordance with the guidelines issued by the Ministry vide its letter dated 22.03.2022 and 08.09.2022. Thus, the state Government is requested to provide complete details of violation if any, name and other details of the person involved including the officials from the Forest Department and the action taken so far against violation and also the erring officials if any.	वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं संदर्भित परिपत्रों की पालना अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी बाप को लेख है कि अविलम्ब प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें ताकि आक्षेप की पालना उक्त कार्यालय को समय

Signature valid

Digitally signed by Ajit Chohi
Designation: Deputy Conservator
Of Forest
Date: 2023.06.12 16:53:56 IST
Reason: Approved

संलग्न:-उपर्युक्तानुसार

भवदीय

(अजित उचोई)
उप वन संरक्षक
जोधपुर
दिनांक:

क्रमांक: सम /

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. श्रीमान् अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, राजस्थान, जयपुर
2. श्रीमान् संभागीय मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. सहायक वन संरक्षक, फलोदी

उप वन संरक्षक
जोधपुर

Signature valid

Digitally signed by Ajit Uchoi
Designation: Deputy Conservator
Of Forest
Date: 2023.06.12 16:53:56 IST
Reason: Approved

I/42620/2023



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE
CHANGE



एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर / Integrated Regional Office,
Jaipur

ए 218 & बी 216 "अरण्य भवन", झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर - 302008 / A-218& B-216,
"ARANYA BHAWAN", Jhalana Institutional Area, Jaipur-302004
दूरभाष/Tel No: 0141-2713858, 2713786 Email: iro.jaipur-mefcc@gov.in

सेवा में,
शासन सचिव (वन)
सिविल सचिवालय, राजस्थान शासन
जयपुर, राजस्थान।

दिनांक: 10th मई, 2023

(प्रस्ताव संख्या: FP/RJ/TRANS/153699/2022)

विषय: Diversion of 0.175 ha of forest land in favour of ABC Solar (INDIA) Private Ltd. for Construction of 220 KV S/C Transmission Line on D/C towers laying between proposal ABCSIPL 300 MW Solar Power Plant to PGCIL 765/400/220kV GSS at Near Village - Badi Sird, Tehsil- BAP, District - Jodhpur in the State of Rajasthan ((Total Length 11.540 km).

सन्दर्भ: शासन सचिव (वन), राजस्थान का पत्र क्रमांक प.1(133)वन/2022 dated 27.04.2023.
महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार की वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी गयी थी।

प्रस्ताव के परिक्षणीपरांत यह पाया गया कि राज्य शासन द्वारा सम्पूर्ण जानकारी/ दस्तावेज परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं किये गये हैं। अतः राज्य शासन से अनुरोध है कि निम्नलिखित आवश्यक जानकारी इस कार्यालय को ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराये:

1. As, the proposal involves violation of FCA, the proposal has to be processed in accordance with the guidelines issued by the Ministry vide its letter dated 22.03.2022 and 08.09.2022. Thus, the State Government is requested to provide complete details of violation if any, name and other details of the persons involved including the officials from the Forest department and the action taken so far against violation and also the erring officials if any.

उपरोक्त जानकारी को ऑनलाईन पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेज सहित अपलोड कराये ताकि अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

(श्रवण कुमार वर्मा)
उप महानिरीक्षक / क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: (ई-मेल द्वारा)

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (वन संरक्षण), वन विभाग, अरण्य भवन, झालाना इंस्टिट्यूशनल एरिया, जयपुर, राजस्थान।
2. उप वन संरक्षक, जोधपुर वनमण्डल, जोधपुर, राजस्थान।
3. ए.बी.सी. सोलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सोमाजीगुडा, हैदराबाद, तेलंगाणा।
4. आदेश पत्रावली।